न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः—जीसीएमएस नम्बर 2025/506

1. अंगूरी पुत्री स्व. फूलचन्द, पत्नी मदनलाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बामनीखेड़ा, तहसील रामगढ, हाल निवासी ग्राम रामबास, तहसील गोविन्दगढ़, जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. विमला पुत्री स्व. श्री फूलचन्द, पत्नी राधेश्याम, जाति महाजन, निवासी ग्राम बामनीखेडा तहसील रामगढ, जिला अलवर।

——असल रेस्पोडेन्ट

2. महेश पुत्र मंगल, जाति महाजन, निवासी बामनीखेड़ा, हाल निवासी श्रीरामनगर, अलवर तहसील व जिला अलवर।
3. राजकुमार पुत्र स्वत्र मंगलराम, जाति महाजन, निवासी ग्राम बामनीखेडी हाल निवासी ग्राम बडौदामेव, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
4. शकुन्तला पुत्री फूलचन्द पत्नी स्व. रामस्वरूप, जाति महाजन, निवासी बामनीखेडी हाल निवासी बाम्बौली, तहसील रामगढ जिला अलवर।
5. तहसीलदार रामगढ, तहसील रामगढ, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—

1. श्री विजय सिंह राठौड़, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री श्यामबाबू पारीक, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से

दिनांकः 05.01.2026

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2024 से असंतुष्ट होकर भू राजस्व अधिनियम 1996 की धारा 76 की तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 102 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 143 रकबा 1.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.36 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 जो खाता संख्या 268 की आराजी है का सम्पूर्ण हिस्सा एवं खसरा नम्बर 66 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 67 रकबा 0.24 हैक्टयर, खाता संख्या 194 का 1/2 हिस्सा एवं आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.74 हैक्टयर खाता संख्या 93 का 2/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 93 की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.06, हैक्टयर का 1/2 हिस्सा हाल रामगढ, अपीलान्ट की स्वर्गीय माता हरभेजी पत्नी स्व. फूलचन्द के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। स्व. हरभेजी के वारिस उसकी चार पुत्रियॉ अपीलान्ट व शकुन्तला देवी, शान्ति देवी व विमला देवी है। जिनमें बडी पुत्री शान्ति देवी का स्वर्गवास हो चुका है और शान्ति के पुत्र महेश चद्र व राजकुमार है जो उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 शान्ति देवी के वारिस है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलान्ट की माता स्व. हरभेजी की विरासत में 1/4 हिस्सा अपीलान्ट हिस्सेदार खातेदार है। उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विमला ने हरभेजी पर दबाव डालकर छल व कपट से दिनांक 08.04.2004

P.T.O.

को एक बैयनामा तहरीर व तस्दीक करा लिया। जिस हिबैनामें के विरूद्ध अपीलान्ट व अपीलान्ट की बहन शकुन्तला देवी ने एक दावा बाबत मन्सुख किये जाने हिबैनामा व हुक्मईम्ताई दवामी का माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 2 वाद संख्या 133/04 था। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं न्यायाधीश फास्टट्रेक संख्या 2 उक्त दीवानी वाद बअनुवान शकुन्तलादेवी व अन्य बनाम हरभेजी बेवा फूलचन्द व अन्य दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिनांक 31.08.2006 को खारिज कर दिया और माननीय न्यायालय में वाद वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 08.04.2004 निष्पादित एवं पंजीबद्ध हिबैनामें शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर दिया। उपरोक्त निर्णय की पालना में निर्णय व डिक्री की एक प्रति उप पंजीयन मौजा रामगढ जिला अलवर को पृथक से जारी कर आदेश दिया कि उनके कार्यालय में पंजीकृत हिबैनामा दिनांक 08.04.2004 से हारभेजी बेवा फूलचन्द द्वारा विमलादेवी पुत्री फूलचन्द के पक्ष में निष्पादित किया गया है, के रद्दकरण के सम्बन्ध में उक्त हिबैनामा पर टिप्पणी अंकित कर न्यायालय को एक माह में पालना रिपोर्ट पेश करें। निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2006 के विरूद्ध हरभेजी व विमला देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील पेश की गई जो अपील संख्या 556/2006 है। जिसका अनुवान हरभेजी बनाम शुकन्तला है जिस अपील में महेश पुत्र मंगल व राजकुमार पुत्र मंगल जो कि शान्ति देवी के पुत्र है, ने एक राजीनामा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में पेश किया व राजीनामा कोर्ट के बाहर असल रेस्पोडेन्ट विमला के लडके ने तहरीर कराकर नोटेरी से तस्दीक कराया और उच्च्व न्यायालय में पेश कर दिया परन्तु अपीलान्ट अंगूरी व हरभेजी ने कोई राजीनामा तहरीर नही कराया और ना ही उच्च्व न्यायालय में प्रस्तुत किया उक्त राजनामें के आधार पर माननीय उच्च्व न्यायालय ने आदेश पारित किया। जिसकी इजराय तहसील रामगढ द्वारा दिनांक 17.02.2022 बाबत नामान्तरकरण संख्या 583 विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर की है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.05.2017 है कि तहसीलदार रामगढ़ ने नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 को स्वीकार किया है, जो उच्च न्यायालय के फैसले के 4 साल 9 माह बाद बगैर अपीलान्ट को नोटिस दिये, बगैर सुनवाई का अवसर दिया स्वीकार किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य था। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील संख्या 11/2008 सन् 2022 प्रस्तुत की और अपील में सारे तथ्य दर्ज किये गये। विचारणीय न्यायालय को इजराय करने का कतई कोई कानूनी अधिकार नही था क्योंकि वाद अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 2 अलवर के न्यायालय में दायर किया गया था और उनके न्यायालय द्वारा ही इजराय की कार्यवाही की जा सकती थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निर्णय गलत खिलाफ मनशाये कानून व वाकेआज होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के खिलाफ एवं तथ्यों व मौका कब्जा व राजस्व रिकार्ड के विपरीत पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया, जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है। उन्होने आगे कथन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपीलान्ट द्वारा कोई राजीनामा पेश नही किया गया और ना ही नोटेरी पब्लिक तस्दीक कराया और ना ही अपना हिस्सा विमला देवी के हक में छोडना स्वीकार किया जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2017 से स्पष्ट है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिले गौर

संभागीय आयुक्त जयपुर

न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण को देखने से यह तथ्य जाहिर है कि पटवारी हल्का ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश व तहसीलदार के आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 06.01.2022 को दर्ज किया है इससे यह बात साबित है कि विमला देवी ने उपखण्ड अधिकारी रामगढ के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के निर्णाय व डिक्री व राजीनामा के आधार पर उसके पक्ष में डिक्री की इजराय पेश की और अपने नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ नकल निर्णय व डिक्री माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 11.05.2017 एवं नकल राजीनामा दिनांक 03.02.2015 की प्रति पेश की। जिस पर उपखण्ड अधिकारी रामगढ द्वारा एक तहरीर दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार रामगढ के नाम जारी की गई और मुताबिक डिक्री व राजीनामा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीनी का नाम अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 से पूर्व न्यायालय में भिजवाने का आदेश दिया और उस तहरीर पर ही तहसीलदार रामगढ ने आदेश की पालना हेतु तहरीर पटवारी हल्का नयाबास को जारी कर दी जो दोनों तहरीर गैर कानूनी व बिना क्षेत्राधिकार के जारी की गई क्योंकि हिबेनाम केन्सिल करने वाला आदेश व डिक्री माननीय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 2 अलवर की है, जो निर्णाय व डिक्री दिनांक 31.08.2006 की है। इस डिक्री के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अगर कोई डिक्री जारी की है, तो कानून उस सूरत में इजराय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 अलवर में पेश करनी चाहिये थी और इजराय आदेश माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक अलवर ही देने में सक्षम है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश गैरकानूनी व क्षेत्राधिकार विहिन है। इस अहम कानूनी बिन्दु के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2024 व तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय बाबत नामान्तरकरण संख्या 583 दिनांक 17.02.2022 निरस्त किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि शकुन्तला पुत्री फूलचन्द व अंगूरी पुत्री फुलचन्द ने एक दावा बअनुवान शकुन्तला वगैर वादीगण बनाम हरभेजी वगैर प्रतिवादीगण दावा मंसुख किये जाने हिबेनामा एवं हुकुम्ईम्ताई का पेश किया जिस पर जिसका निस्तारण दिनांक 31.08.2006 को अदालत अपर जिला न्यायाधिश फास्ट ट्रेक नं 2 अलवर ने किया व वाद वादीगण डिक्री किया गया। इस बाबत हरभेजी व विमला देवी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील संख्या 556/06 पेश की जिस अपील में अंगूरी रेस्पोडेन्ट की तामील हो जाने के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में उपस्थित नही हुई व पक्षकारान शकुन्तला देवी, महेश चन्द, राजकुमार व श्रीमती विमला देवी के मध्य आराजी मुतनाजा के बाबत राजीनामा तारीख 03.02.2015 को हो गया व माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने राजीनामा के तहत अपील का निस्तारण दिनांक 11.05.2017 को किया व अपील राजीनामें के आधार पर स्वीकार की गई व अंगूरी देवी माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में हाजिर नही हुई। करीब 4 साल गुजर जाने के बाद भी अंगूरी ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की व हरभेजी ने उपखण्ड अधिकारी रामगढ के यहॉ कार्यवाही की। जिस पर नामान्तरकरण सही प्रकार से दर्ज व तस्दीक किया गया क्योंकि जब राजीनामें के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपील का निस्तारण करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 3 व 4 ने उपखण्ड अधिकारी रामगढ के

यहॉ विवादित आराजी का नामान्तरकरण दर्ज कराने बाबत आराजी क्षेत्र के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक किया। उक्त नामान्तरकरण दर्ज व तस्दीक हो जाने पर गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय में अंगूरी ने अपील बअनुवान अंगूरी बनाम विमला गलत तरीके पर पेश की है। जो अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सिविल प्रथम अपील संख्या 556/2006 में आपसी राजीनामा के आधार पर पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 की पालना हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार रामगढ द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण 583/06.01.2022 दिनांक 17.02.2022 को स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 11.085.2017 के विरूद्ध कोई अपील नही की गई है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 के अस्तित्व एवं प्रभाव में रहते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2022 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2024 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।